न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान

राजस्व प्राथना पत्र संख्या 23 / 2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैसर्स सवाईभोज ग्राम एकलसिंहा तहसील केकड़ी जिला अजमेर जरिये पार्टनर
1. मदन गुर्जर पुत्र श्री हरजी राम गुर्जर
2. श्रीमति गोपी पत्नि श्री मदन
3. श्रीमति छोटी पत्नि श्री हरजीराम समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम एकलसिंहा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

—प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(भू.अ.)तहसील केकड़ी जिला अजमेर

—अप्रार्थी

वादपत्र अंतर्गत धारा 131,136 राज0भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित::— श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़ वकील— प्रार्थीगण
तहसीलदार केकडी—पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 16.12.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131,36 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम एकलसिंहा तहसील केकड़ी की जमाबंदी संवत् 2070—73 की निम्नवर्णित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की है::—

खाता संख्या नया—	पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
59	62	729 / 1043	0.08 है0	बा.3
		852	2.43 है0	बा.3
		कुल किता 2	2.51 है0	

यह कि उक्त भूमि की मूल खातेदार छोटी देवी पत्नि हरजी राम कौम गूर्जर निवासी एकलसिहा तहसील केकड़ी जिला अजमेर थी,जो इस प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी संख्या 3 क रूप में नामित है छोटी देवी ने उक्त भूमि खसरा संख्या 852 रकबा 2.43 है0 मे से 1.43 है0 भूमि गोपी देवी,दीपक पुत्र रामकिशन,किरण पत्नि राजेन्द्र सिंह गुर्जर,कमलेश देवी पत्नि शिवरतन जैन को विकय कर दी थी जिसका जमाबंदी मे इन्द्राज जरिये नामा0 संख्या 691 दिनांक 10.07.17 से खसरा सख्या 1191 / 852 रकबा 1.43 है0 के रूप में अकित किया गया। इसके उपरांत उक्त दीपक,किरण,कमलेश देवी ने उक्त भूमि खसरा संख्या 1191 / 852 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (जिला-अजमेर)

1.43 है0 मे स्वयं का हिस्सा गोपी देवी पत्नि मदनलाल गुर्जर को विक्रय कर दिया जिसका नामा0 संख्या 706 दिनांक 12.08.17 से खसरा सख्या 729/1043 रकबा 0.08 है0 व खसरा संख्या 1191/852 रकबा 1.43 है0 कुल रकबा 1.51 है0 पर गोपी देवी पत्नि मदनलाल गुर्जर के नाम दर्ज हो गया। गोपी देवी उक्त प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी संख्या 2 के रूप मे नामित है। उपरोक्त भूमि खसरा संख्या 729/1043 व खसरा संख्या 1191/852 एवं खसरा संख्या 852 कुल रकबा 2.51 है0 पर जरिये बेचान फर्म मैसर्स सवाईभोज जरिये पार्टनर मदन,गोपीदेवी दर्ज हो गया जो नामा0संख्या 852 के जरिये जमाबदी मे दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण भूमि के खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण है अन्य कोई खातेदार काश्तकार नहीं है। खसरा संख्या 852 का प्रार्थी ने नापचौप करवाया तो जानकारी हुई कि उक्त खसरा नंबर 852 राजस्व रेकार्ड नक्शा ट्रेस मे 0.34 है0 भूमि खसरा नंबर 851 की तरफ कम हैं जबकि मौके पर प्रार्थी फर्म 2.51 है0 पर काबिज है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि का नक्शा छोटा होने से अनेकानेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण नक्शा ट्रेस को दुरूस्त किया जाकर भूमि खसरा संख्या 852 मे भूमि खसरा संख्या 851 मे से 0.34 है0 भूमि सम्मिलित की जाकर नक्शा ट्रेस का दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथी पैरोकार सरकार से जवाब चाहा गया। तहसीलदार केकड़ी पैरोकार सरकार ने उनके पत्र कमाक/राजस्व/19/1307 दिनांक 4.12.19 को प्रस्तुत किया जिसमे बताया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उचित है था वर्तमान मे प्रार्थीगण आराजी पर खनन कार्य कर रहा है। हाल नक्शें व साबिक नक्शें मे अंतर है जिसे साबिक नक्शें के मुताबिक हाल मैंट्रिक शीट मे दुरूस्त किया जाना है। इससे राज्यहित प्रभावित नही होता है। एवं शुद्धि की अनुशषा की है।

जवाब सरकार की प्रति वकील प्रार्थी को दिलवायी गयी। बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराया तथा नक्शें को दुरूस्त किये जाने की प्रार्थना की है। पैरोकार सरकार ने भी प्रार्थीगण के वकील की प्रार्थना अनुसार नक्शें मे दुरूस्त किये जाने की सहमति दी है। उनका कथन है कि इससे राज्यहित प्रभावित नहीं होता है।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। जवाब सरकार व पक्षकारान् के लायक अधिवक्ता व पैरोकार सरकार को सुना गया। ग्राम एकलसिंहा के खसरा नंबर 729/1043 रकबा 0.08,खसरा नंबर 852 रकबा 1.43 है0,852 रकबा 1.00है0 कुल किता 3रकबा 2.51 है रकबा बरारी करने पर 2.19 है0 बनता है। जबकि मौके पर खसरा नं. 729/1043 रकबा 0.08,खसरा नंबर 852 रकबा 1.43 है0,852 रकबा 1.00है0 कुल किता 3 रकबा 2.51है0भूमि है। इस प्रकार प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र मे चाहे अनुसार प्रार्थीगण के नक्शाट्रेस मे उनकी खातेदारी भूमि का नाप 0.34 है0 कम है। जो दुरूस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उचित होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी आदेश की पालना मे राजस्व नक्शा ट्रेस को दुरूस्त करे। अन्य इन्द्राज जमाबंदी बदस्तूर रहेगे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगे। पत्रावली नंबर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

(सुरेन्द्र सिह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2020.01.08 18:28:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: